उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

गुरूवार, 07 फाल्गुन, शक संवत्, 1930

(दिनांक : 26 फरवरी, 2009)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)।
2. निधन के निदेश।
3. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2008 के तृतीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखेंगे।
4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
5. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
6. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
7. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
8. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।
9. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करेंगे।
10. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

11. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करेंगे।

12. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"ख"**)

13. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

14. श्री केदार सिंह फोनिया द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2009 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है"

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी **"ग"**)

(समय : अपराह्न 5:00 बजे)।

15. वित्तीय वर्ष 2009-2010 के एक भाग के लिये लेखानुदान पर सामान्य चर्चा एवं मतदान। (30 मिनट)

16. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

17. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करेंगे।

18. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

19. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

20. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 26 फरवरी, 2009

(महेश चन्द्र)
सचिव।

नत्थी "ख"

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 25 फरवरी, 2009 की बैठक में दिनांक 26 फरवरी, 2009 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है:–

फरवरी, 2009

26 (गुरूवार) (1) राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी।

(सांय 5:00 बजे)

(1) वित्तीय वर्ष 2009–2010 के एक भाग के लिए लेखानुदान पर सामान्य चर्चा एवं मतदान। (30 मिनट)

(2) उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 का पुरःस्थापन, उस पर विचार और पारण।

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

गुरूवार, 07 फाल्गुन, शक संवत्, 1930

(दिनांक : 26 फरवरी, 2009)

नत्थी "क"

तारांकित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह 28–01–2009	*1. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या प्रदेश का मण्डी एक्ट बन चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मण्डी एक्ट न बनने से प्रदेश को कोई आर्थिक क्षति हुई है? यदि हॉ, तो कितनी?	कृषि
श्री प्रीतम सिंह 28–01–2009	*2. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या राज्य निर्माण के पश्चात् मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण द्वारा कंसलटेंसी में कुल कितना धन व्यय किया गया है?	षष्टम सोम0 के तारा0 3 में स्था0
श्री सुरेन्द्र राकेश 28–01–2009	*3. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष में एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत बजट कम किया गया है? यदि हाँ, तो बजट कम करने के क्या कारण है?	समाज कल्याण
श्री सुरेन्द्र राकेश 29–01–2009	*4. क्या कृषि मंत्री अवगत है कि उत्तराखण्ड के हरिद्वार जनपद में कृषि योग्य भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो गयी है? यदि हॉ, तो पोषक तत्व की कमी के क्या कारण है? क्या सरकार ने पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में कोई ठोस उपाय किये है? यदि हॉ, तो उनका विवरण क्या है?	कृषि
श्री प्रीतम सिंह 29–01–2009	*5. क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में एन0 जी0 ओ0 की कुल कितनी संख्या है? क्या पंजीकृत एन0 जी0 ओ0 द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?	तृतीय सोम0 के तारा0 10 में स्था0

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत 29–01–2009	***6.** क्या नगर विकास मंत्री अवगत है कि कोटद्वार नगर पालिका क्षेत्र में कोई अधिकृत वाहन पार्किंग न होने के कारण मार्गो पर वाहनों द्वारा अतिक्रमण से नगर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था अत्यधिक अव्यवस्थित रहती है तथा फलस्वरूप निरन्तर दुर्घटनायें होती रहती है? यदि हॉ, तो क्या सरकार नगर पालिका क्षेत्र कोटद्वार में बहु–उद्देशीय वाहन पार्किंग का निर्माण करायेगी? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**नगर विकास**
श्री सुरेन्द्र राकेश 17–10–2008	***7** क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चालू वर्ष में धान खरीद का न्यूनतम मूल्य कितना निर्धारित किया गया एवं धान खरीद का प्रदेश में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? क्या लक्ष्य के अनुरूप प्रदेश में धान की पैदावार हुयी? यदि नहीं, तो इस विसंगति के क्या कारण है?	**खाद्य**
श्री किशोर उपाध्याय 02–02–2009	***8.** क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की ए0पी0एल0 राशन कार्ड धारकों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है? यदि हॉं, तो क्या माह अक्टूबर 2008 का खाद्यान्न वितरित किया गया है? यदि हॉं, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?	**खाद्य**
श्रीमती आशा नौटियाल 02–02–2009	***9.** क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग के अर्न्तगत अगस्त्यमुनि में रसोई गैस की पर्याप्त आपूर्ति ग्रामीणों को मिल रही है? यदि नही तो गैस आपूर्ति हेतु गढ़वाल मंडल विकास निगम यहॉ पर गैस एजेन्सी खोलने पर विचार कर रही है? यदि हॉ, तो यहॉ पर गैस एजेन्सी कब तक खोल दी जायेगी? यदि नही, तो क्यों?	**खाद्य**
श्री महेन्द्र सिंह माहरा 02–02–2009	***10.** क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत को 2006–2007 तथा 2007–2008 एवं 2008–2009 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत कितना बजट स्वीकृत हुआ? क्या स्वीकृत बजट का पूरा उपयोग कर लिया है? यदि नहीं, तो क्यों?	**स्थगित**
श्री महेन्द्र सिंह माहरा 02–02–2009	***11.** क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कृषि बीमा योजना लागू कर दी गयी है ? यदि हॉ, तो अभी तक कितने कृषक इस योजना से लाभान्वित हुये है? यदि नहीं, तो क्यों?	**कृषि**
श्री रंजीत रावत 04–02–2009	***12.** क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा जलागम योजना अन्तर्गत नमी बढ़ाने हेतु कौन–कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है? क्या योजनाओं का चयन व निर्माण मानकों के अनुरूप किया जा रहा हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	**कृषि**

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
06–02–2009

***13.** क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2008 – 2009 में अब तक टी0डी0सी0 द्वारा कितना गेहूँ का बीज क्रय किया गया तथा उसके सापेक्ष मे 31 दिसम्बर 2008 तक एवं 10 जनवरी 2009 के पश्चात कितने बीज की बिक्री हुई? **कृषि**

स्थगित अतारांकित प्रश्न

श्रीमती अमृता रावत
03–11–2008

1. क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के बांघाट (सतपुली) स्थित राजकीय खाद्यान्न डिपो के अन्तर्गत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें किस–किस नाम से, जनपद के किन–किन विकास खण्डों के किन–किन स्थानों पर कब–कब से संचालित है तथा खाद्यान्न डिपो से इन दुकानों की मोटर मार्ग अथवा खच्चर मार्ग एवं पैदल मार्ग से दूरी कितनी है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि डिपो से दुकानों तक नियमित खाद्यान्न ढुलान हेतु प्रति क्विंटल ट्रक अथवा खच्चर भाड़ा कितना–कितना देय है तथा दुकान पर निर्धारित प्रति किलो/लीटर की बिक्री दर क्या है? **खाद्य**

अतांराकित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह
27–01–2009

1. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी मलिन बस्तियॉ है? क्या सरकार द्वारा मलिन बस्तियों के विकास हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? **नगर विकास**

श्री प्रीतम सिंह
28–01–2009

2. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितना स्वयं सहायता समूहों का पंजीकरण किया गया है? क्या पंजीकृत स्वयं सहायता द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की जाती है? यदि नहीं, तो क्यों? **ग्राम्य विकास**

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
29–01–2009

3. क्या कृषि मंत्री अवगत है कि मा0 मुख्यमंत्री द्वारा लगभग एक वर्ष पूर्व कोटद्वार में कृषि एवं तकनीकी महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई थी? क्या उक्त हेतु प्रस्तावित भूमि का चयन/अधिग्रहण नहीं हो पाया है? यदि हॉ, तो क्या सरकार यथाशीघ्र कृषि महाविद्यालय की स्थापना करेगी? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **कृषि**

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
30–01–2009

4. क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते है? क्या सरकार इन लोगो के शैक्षिक उत्थान के लिये कोटद्वार के नजदीक क्षेत्र में जनजाति आवासीय विद्यालय खोलने पर विचार कर रही है यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण

हाजी तसलीम अहमद
02–02–2009

5. क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र लालढांग जिला हरिद्वार के ग्राम संराय, इब्राहिमपुर, जमालपुर, कटारपुर, मिस्सरपुर, पंजनहेडी, भगतनपुर, आबिदपुर में सिचाई के लिए गंग नहर से निकाली गयी कच्ची माईनरो में पानी के अपव्यय को रोकने के लिए क्या सिचाई विभाग द्वारा पक्की माईनरो का निर्माण कार्य कराया जायेगा? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों?

प्रथम बुध0 के अता0 25 में स्था0

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
02–02–2009

6. क्या लघु सिचाई मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर के अर्न्तगत विवेकानन्द ग्राम फेज – 2 नत्थनपुर स्ट्रीट न0–4 में गूल का पानी सड़क पर बहता रहता है जिसके फलस्वरूप डामरीकरण सड़क अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गयी है? यदि हॉ, तो क्या सरकार सड़क में बहते हुये पानी को रोकने हेतु कोई कारगर उपाय करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

प्रथम बुध0 के अता0 26 में स्था0

श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल
03–02–2009

7. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है कि नगर पालिका परिषद ऋषिकेश के लिए वर्ष 2006–07 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत शासनादेश संख्या – 4432 (4) दिनांक 26.12.2006 द्वारा जटिया बस्ती व बाल्मीकि बस्ती में सामुदायिक केन्द्र, अम्बेडकर भवन कक्ष का निर्माण तथा लाईब्रेरी हॉल एवं बाउन्ड्री वॉल का निर्माण, बाल्मीकि बस्ती में 150 वाट सोडियम लाईट, कम्पलीट फिटिंग का क्रय एवं फिक्सिंग तथा बाल्मीकि एवं जटिया बस्ती में 3 सड़कों का निर्माण व मलिन बस्तियों में सीवर लाइन बिछाने के कार्य हेतु रू0 147.29 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी थी? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार वित्तीय स्वीकृति जारी करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

शहरी विकास

श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल
03–02–2009

8. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है कि नगर पालिका परिषद ऋषिकेश के लिए वर्ष 2006–07 में कुम्भ निधि के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 4439 (1) दिनांक 26.12.2006 द्वारा 3 सी0सी0 टायल्स सड़कों का निर्माण एवं मायाकुण्ड में बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण बावत रू0 270.89 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति की गयी थी? क्या यह सत्य है कि प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार वित्तीय स्वीकृति जारी करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों?

शहरी विकास

श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल
03–02–2009

9. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है कि वर्ष 2006–07 में अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 4432 (4) दिनांक 26.12.2006 द्वारा नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश के लिए 9 सी0सी0 टाईल्स सड़कों के निर्माण एवं चन्द्रभागा नदी के पास सब्जी मण्ड़ी, पार्किंग व दुकानों के निर्माण बावत रू0 349.42 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति की गयी थी? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार वित्तीय स्वीकृति जारी करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

शहरी विकास

श्री ओम गोपाल रावत
03–02–2009

10. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में हिमांचल प्रदेश की भांति कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जनपद के चुनिंदा किसानों को कृषि अधिकारियों के साथ हिमांचल प्रदेश में कृषि के अध्ययन के लिए भ्रमण करवायेगें? यदि हां, तो कब? यदि नही, तो क्यों?

कृषि

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
03–02–2009

11. क्या शहरी विकास अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सतपुली वर्तमान में शहर का रूप ले चुका है। क्या यह सत्य है कि ग्राम सभा द्वारा इसकी साफ–सफाई ठीक प्रकार से न किये जाने के कारण यह स्थान गन्दगी से भरा रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार सतपुली को नगर पंचायत का दर्जा देने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

शहरी विकास

श्री मयूखमहर
04–02–2009

12. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत है कि जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट–लधड़ा मोटर–मार्ग प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत चरण पांच में चयनित थी, किन्तु इसमें अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त मार्ग में कार्य कब तक प्रारम्भ होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास

श्री राजेश जुवांठा
04–02–2009

13. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी पुरोला एवं नौगांव में रोजगार गारन्टी योजना के तहत कितनी योजनायें स्वीकृत है तथा कितनी योजनाओं में कार्य चल रहा है?

ग्राम्य विकास

श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल
04–02–2009

14. क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत है कि जनपद पौड़ी के विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत पट्टी मवालस्यू में कोई भी गैस एजेन्सी/गैस गोदाम न होने के कारण लोगों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यदि हॉ तो क्या सरकार जनहित में ईड़ाखाल नामक स्थान पर गैस एजेन्सी खुलवाये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

श्रीमती आशा नौटियाल
04–02–2009

15. क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लघु सिंचाई के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा विकास खण्ड–स्याल्दे के अन्तर्गत ग्राम सभा उपराड़ी के दुबसिल ग्राम हेतु विभाग द्वारा गूल टैंक एवं पाइप लाइन बिछाये जाने की योजना लगभग 3 वर्ष से निर्मित है? क्या गूल हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो कब तक उक्त योजना को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? **लघु सिंचाई**

श्री ओम गोपाल रावत
05–02–2009

16. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत है कि उत्तराखण्ड में पर्वतीय क्षेत्र के गॉवों में विधायक निधि से गरीबो की कन्याओं के विवाह तथा अन्य समारोहों हेतु निर्मित बारात घरों का उपयोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार नहीं कर पा रहे है? यदि हॉ तो ऐसे परिवारों के लिए विधायक निधि से लाईट–टेन्ट प्रदान किये जाने का प्राविधान करेगें ताकि विधायक निधि का लाभ/उपभोग गॉव का गरीब व्यक्ति/बी0पी0एल0 परिवार भी कर सकें? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **ग्राम्य विकास**

श्री मयूखमहर
05–02–2009

17. क्या पशुपालन मंत्री अवगत है कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत कई क्षेत्रों में गत माह सैकड़ो बकरियॉ अज्ञात बीमारी से मर गई है? यदि हॉ तो, सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास कर रही है? क्या सरकार उन बकरी पालकों को मुआवजा देगी? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **पशुपालन**

श्री चन्दन राम दास
05–02–2009

18. क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उ0प्र0 राज्य समाज कल्याण निर्माण निगम की तरह क्या सरकार प्रदेश में उत्तराखण्ड समाज कल्याण निर्माण निगम की स्थापना किये जाने पर विचार करेगी। यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **समाज कल्याण**

श्री चन्दन राम दास
05–02–2009

19. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 8 में नई सड़कें प्रस्तावित की जा रही है?यदि हॉ तो जनपद बागेश्वर में कितनी सड़कें प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों? **ग्राम्य विकास**

श्री चन्दन राम दास
05–02–2009

20. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि एस0सी0पी0 एवं टी0 एस0पी0 की धनराशि समय पर अवमुक्त की जा रही है? यदि हॉ तो जनपदवार स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष कितनी प्रंतिशत राशि विगत तीन वर्ष में अवमुक्त की गई है और कितनी धनराशि लैप्स हुई है? **समाज कल्याण**

श्री चन्दन राम दास
05–02–2009

21. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या प्रदेश सरकार के पास विकास खण्ड बनाये जाने की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हॉ तो जनपद बागेश्वर के काण्डा, कठपुड़िया में तथा जनपद अल्मोड़ा के जालली नामक स्थान पर विकास खण्ड बनाने हेतु क्या सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों? **ग्राम्य विकास**

श्री पुष्पेश त्रिपाठी
05–02–2009

22. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत है कि अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट तहसील अन्तर्गत बग्वालीपोखर की क्षेत्रीय जनता बग्वालीपोखर विकास खण्ड के गठन की मांग के लिए आन्दोलित है? यदि हॉ तो इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा माह जनवरी 2009 में शासन को प्रेषित उक्त विकास खण्ड के प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति क्या है?

ग्राम्य विकास

श्री प्रीतम सिंह
06–02–2009

23. क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आपूर्ति विभाग के विधिक व माप विज्ञान शाखा द्वारा मानकों के अनुरूप कार्य न करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
06–02–2009

24. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में स्वीकृत ऐता–उमरैला–चरेख मोटर मार्ग का निर्माण कार्यदायी संस्था को धन भुगतान कर दिये जाने के बावजूद भी अभी तक पूरा नही हुआ है? यदि हॉ तो क्या सरकार कार्य पूर्ण किये बिना धनराशि का भुगतान करने वाले अधिकारी तथा संबंधित निर्माण संस्था को दण्डित करने तथा योजना के निर्माण को पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही करेगी? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास

श्री पुष्पेश त्रिपाठी
06–02–2009

25. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि एक नये विकास खण्ड स्थापित करने में कुल कितना धनराशि व्यय होती है? क्या यह भी बताने के कष्ट करेगें कि पूर्व में घोषित जालली विकास खण्ड, तहसील द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा अस्तित्व में है? यदि हॉ, तो कब से? नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
06–02–2009

26. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2008 – 2009 जिला ऊधमसिंहनगर से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कितनी धन राशि अन्य जिलों को स्थानान्तरित की गई है? क्या वन मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेगे कि उक्त अवधि में जिला उधमसिंहनगर में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास खंण्डो में कितने पात्र–बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता वितरित किया गया है?

ग्राम्य विकास

हाजी तसलीम अहमद
06–02–2009

27. क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला हरिद्वार की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर, कुन्हारी, भगवानपुर समेत राज्य की अन्य ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम पंचायतों को वर्ष 2009 में ही नगर पंचायत बना दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

द्वितीय गुरू0 के अता0 10 में स्था0

श्री किशोर उपाध्याय
03–02–2009

28. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विकलांगों के कल्याणार्थ सरकार द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है? यदि हां, तो उसका स्परूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी "ग"

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1.	डा0 हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष 2. श्री दिनेश अग्रवाल, 3. श्री जोत सिंह गुनसोला, 4. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियान" 5. श्री केदार सिंह रावत, 6. श्री राजेश जुंवाठा, 7. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 8. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 9. श्री गोपाल सिंह राणा, 10. श्री यशपाल आर्य, 11. श्री प्रीतम सिंह, 12. श्री करन माहरा, 13. श्री मनोज तिवारी, 14. श्री रणजीत रावत, 15. श्री तिलक राज बेहड़, 16. श्री मयूख महर, 17. श्री किशोर उपाध्याय।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. कुम्भ मेले की तैयारियों का कोई उल्लेख नहीं है, 2. सूखे से प्रभावित कृषकों को राहत पहुंचाने के उपायों का उल्लेख नहीं है, 3. योग विषय को स्कूलों में अनिवार्य विषय बनाकर योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, 4. वृद्ध/विधवा/विकलांगों की पेंशन बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है, 5. प्रदेश के प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई उल्लेख नहीं है, 6. 'चारधाम यात्रा' के लिए क्या योजनाएं हैं, का उल्लेख नहीं है, 7. पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए पम्पिंग योजनाओं के निर्माण का कोई जिक्र नहीं है, 8. पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय बेरोजगारों के लिए रोजगार की अपार संभावनायें है, का अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है, 9. स्वास्थ्य उपकेन्द्रो में डिप्लोमा फार्मेसिस्टों की नियुक्ति करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, 10. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अभी भी रू0 3200-4900 का वेतनमान दिया जा रहा है अन्य राज्यों में यह रू0 4500-7000 है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के वेतनमान वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है, 11. एन0टी0टी0 प्रशिक्षित युवतियां पिछले 15 माह से लगातार धरना-प्रदर्शन कर रही हैं, किन्तु प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं है,

12. जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना में प्रदेश के नगरों को सम्मिलित किये जाने का जिक्र नहीं है,

13. 'सैफ गेम्स' की तैयारियों के संबंध में तैयारियों का उल्लेख नही है,

14. परिवहन निगम की दशा दयनीय बनी हुई है, नई बसों की खरीद का कोई उल्लेख नहीं है,

15. नये शहरों में आई0एस0बी0टी0 निर्माण एवं यात्री सुविधाओं का उल्लेख नहीं है,

16. नये विद्यालयों का सृजन एवं उच्चीकरण का उल्लेख नहीं है,

17. जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती का उल्लेख नहीं है,

18. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये किसी योजना का उल्लेख नहीं है,

19. अल्पसंख्यकों के लिये किसी योजना का उल्लेख नहीं है,

20. मदरसों के आधुनिकीकरण का उल्लेख नहीं है,

21. नये 'आश्रम पद्धति' विद्यालय तथा छात्रावासों के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है,

22. 'कर्मचारी समन्वय परिषद' के गठन का उल्लेख नहीं है,

23. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विजिटिंग एवं संविदा प्रवक्ताओं के समायोजन / तदर्थ नियुक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है,

24. प्रदेश के सभी ग्रामों को वर्ष-2008 तक विद्युतीकृत किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इस पर क्या प्रगति हुई, इसका उल्लेख नहीं है,

25. राज्य में दैनिक तथा वर्कचार्ज कर्मचारियों के विनियमितीकरण का उल्लेख नहीं है,

26. विद्युत विभाग में होने वाले कार्यो के ठेके प्रदेश से बाहर के बड़े ठेकेदारों को दिये जा रहे हैं, स्थानीय बेरोजगारों को सम्मिलित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है,

27. प्रदेश के किसानों एवं गरीब जनता के लिए प्राकृतिक आपदा बीमा योजना प्रारम्भ किये जाने का उल्लेख नहीं है,

28. राज्य के सार्वजनिक निगमों के कार्मिकों को छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ केन्द्रीय सार्वजनिक निगमों की भाँति करने का उल्लेख नहीं है,

29. आंगनवाड़ी कार्य कर्तियों की पदोन्नति का कोई उल्लेख नहीं है,

30. राज्य के शिक्षा आचार्यो/ अनुदेशकों/ स्वयं सेवकों को शिक्षा मित्र के रूप में समायोजित किये जाने का उल्लेख नहीं है,

31. राज्य में कार्यरत आयुर्वेदिक/ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों (संविदा) के नियमितीकरण का उल्लेख नहीं है,

32. मदरसों और संस्कृत महाविद्यालय को अनुदान दिये जाने का उल्लेख नही है,

33. पुलिस सुधार में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उप निरीक्षक तथा उससे निम्न पदों पर पद कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है,

34. शिक्षा विभाग में दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की समय सीमा का उल्लेख नहीं है,

35. शिक्षा विभाग में लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के विषय में कोई उल्लेख नहीं है,

36. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में नई सड़कों का निर्माण, पुरानी सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण का कोई उल्लेख नहीं है,

37. प्रदेश में उद्योगों की स्थापना एवं उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए किसी योजना का जिक्र नहीं है, तथा

38. पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए पम्पिंग योजनाओं के निर्माण का कोई जिक्र नहीं है।

2. काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में

निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य की स्थाई राजधानी के संबंध में निर्णय लिये जाने,

2. राज्य में विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़तालों पर अंकुश लगाने, कर्मचारियों की मांगों पर विचार एवं यथाशीघ्र निराकरण किये जाने,

3. राज्य सरकार द्वारा यदा-कदा विभिन्न संस्थाओं से ऋण लेने पर नियंत्रण करने,

4. राज्य की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए अनियन्त्रित नॉन प्लान खर्चों पर नियंत्रण किये जाने,

5. राज्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने का आधुनिकीकरण किये जाने,

6. राज्य में हेरिटेज एवं 'मेडिको टूरिज्म' को बढ़ावा देने की नीति बनाये जाने,

7. राज्य के समस्त विधवाओं, वृद्धों एवं विकलांगों को पेन्शन का फार्म भरने के एक माह के अन्दर पेन्शन सुनिश्चित करने,

8. समस्त राज्यवासियों को पात्रता के अनुसार विभिन्न श्रेणी के राशन कार्ड अविलम्ब जारी किये जाने,

9. उर्दू एकेडमी का गठन किये जाने,

10. अल्पसंख्यकों को रोजगार परक शिक्षा देने,

11. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लोगों को उनकी पुत्री की शादी के लिए मिलने वाले अनुदान को दोगुना किये जाने,

12. अरबी, फारसी मदरसों को समाज कल्याण विभाग के नियंत्रण से हटा कर शिक्षा विभाग में सम्मिलित किये जाने,

13. विद्युत वितरण हेतु स्थापित ट्रांसफार्मरों के जल जाने के 24 घंटे के अन्दर पुनः स्थापित किये जाने,

14. विद्युत वितरण में विद्युत वोल्टेज नियामक आयोग के निर्देशों के अनुसार रखने,

15. औद्योगिक क्षेत्रों में जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण पर कड़ी निगरानी रखने,

16. विश्व व्यापी मन्दी के कारण राज्य में स्थापित उद्योगों पर राज्य सरकार द्वारा लागू करों में छूट देने,

17. राज्य में स्थापित उद्योगों पर श्रम नीति को सख्ती से लागू करने,

18. जनपद हरिद्वार की वार्षिक जिला योजना को रू0 100 करोड़ करने,

19. जनपद हरिद्वार को सूखा ग्रस्त घोषित किये जाने,

20. फसलों को खराब कर रहे जंगली जानवरों (बन्दर, वनरोज) को पकड़वा कर राष्ट्रीय पार्कों में छोड़े जाने,

21. फसल की बुआई से पहले समर्थन मूल्य घोषित करने,

22. किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने,

23. सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम की हर तिमाही में मृदा परीक्षण करवा कर जांच रिपोर्ट के अनुसार फसलों हेतु उर्वरक एवं खाद की निःशुल्क सलाह दिये जाने,

24. गन्ना किसानों का गत वर्षो का भुगतान यथाशीघ्र किये जाने,

25. समस्त चीनी मिलों को इथेनोल बनाने की अनुमति दिये जाने,

26. 'एग्रो फोरेस्ट्री' को विकसित करने,

27. चकबन्दी को समयबद्ध तरीके से पूरा करने,

28. तीस साल से पुराने उद्यानों के काटने की अनुमति दिये जाने,

29. समस्त अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों पर राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डाक्टरों की नियुक्ति एवं दवा उपलब्ध कराने,

30. राज्य में हैलिकाप्टर, एंबुलेन्स उपलब्ध कराने,

31. जनपद हरिद्वार मंगलौर में अग्निशमन दल स्थापित किये जाने,

32. जनपद हरिद्वार मंगलौर में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने,

33. जनपद हरिद्वार मंगलौर में राजकीय तकनीकी संस्थान की स्थापना किये जाने,

34. जनपद हरिद्वार मंगलौर में खेल हेतु स्टेडियम की स्थापना किये जाने,

35. जनपद हरिद्वार मंगलौर में वन विभाग के चीतल पार्क में एक भव्य पर्यटक स्थल बनाये जाने,

36. जनपद हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों की सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने,

37. जनपद हरिद्वार के नारसन ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम बिझौली से मुडलाना की ओर जाने वाले राजवाहे को पुनः संचालित करने, तथा

38. जनपद हरिद्वार मंगलौर एवं बारसन के अस्पतालों में मानकों के अनुसार डाक्टरों की नियुक्ति किये जाने।

3. श्री हरिदास

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में,

2. जनपद हरिद्वार में लगे उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार दिलाने के संबंध में,

3. गरीब किसान व गरीब दलितों के घरों पर निजी कनैक्शनों पर लगे विद्युत अधिभार को घटाने के संबंध में।

4. स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का सही उपयोग किये जाने के संबंध में,

5. राज्य के कर्मचारियों के लिए छटा वेतन आयोग लागू किये जाने के संबंध में,

6. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छूटे परिवारों का सर्वे कराने के संबंध में,

7. दलित व अनुसूचित जाति के पट्टाधारकों को उनका मालिकाना हक दिये जाने के संबंध में,

8. वन अधिकार लागू किये जाने के संबंध में,

9. अल्प संख्यकों को रोजगार परक शिक्षा दिये जाने के संबंध में,

10. अशासकीय विद्यालयों में वर्ष 2006 में हुई नियुक्ति में अध्यापकों की नई पेंशन योजना के अन्तर्गत (डी0पी0डी0खाता) कटौतियां न किये जाने के संबंध में,

11. 60 वर्ष की आयु के समस्त वृद्धों एवं विधवाओं को पेशन दिये जाने के संबंध में,

12. जनपद हरिद्वार की विधान सभा क्षेत्र लण्ढ़ौरा में एक राजकीय आई0टी0आई0 खोलने के संबंध में,

13. प्रदेश के किसानों एवं गरीब व दलित जनता के लिए प्राकृतिक आपदा बीमा योजना लागू किये जाने के संबंध में,

14. उत्तराखण्ड में घरेलू विद्युत कनैक्शनों पर सरचार्ज माफ किये जाने के संबंध में,

15. अनुसूचित जाति के बेरोजगार शिक्षित नवयुवकों को रोजगार दिये जाने के संबंध में,

16. वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के संबंध में,

17. मंहगाई रोकने के ठोस उपायों के संबंध में,

18. अनुसूचित जाति का कोटा 22 प्रतिशत व ओ0बी0सी0 का 27 प्रतिशत किये जाने के संबंध में,

19. जनपद हरिद्वार की विधान सभा क्षेत्र लण्ढौरा में एक राजकीय डिग्री कालेज खोलने के संबंध में,

20. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लण्ढौरा में जलस्तर कम होने के कारण पीने के पानी हेतु हैण्डपम्प एवं सिंचाई हेतु सरकारी नलकूप लगवाये जाने के संबंध में,

21. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लण्ढौरा में राज्य योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

22. जनपद हरिद्वार में पिरान कलियर शरीफ के वार्षिक मेले को कुम्भ मेले की तरह सरकारी बजट से आयोजित किये जाने के संबंध मे, तथा

23. अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बनाये जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने के संबंध में।

4. चौ0 यशवीर सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. हरिद्वार जनपद के कस्बा झबरेड़ा में राजकीय बालिका इन्टर कालेज को डिग्री कालेज बनाने के संबंध में,
2. इकबालपुर विधान सभा के ग्राम डेलना में ग्राम समाज की खाली पड़ी हुई लगभग 100 बीघा जमीन में पालिटेक्निक बनाने के संबंध में,
3. हरिद्वार जनपद के कस्बा झबरेड़ा के ग्राम इकबालपुर को ब्लाक बनाने के संबंध में,
4. प्रदेश के किसानों को स्वयं की जमीन से मिट्टी उठाने पर रायल्टी समाप्त करने के संबंध में,
5. प्रदेश के किसानों के अत्यधिक पुराने हो चुके बागों को काटने के संबंध में,
6. प्रदेश के किसानों को गन्ने का पिछले वर्ष का अवशेष अविलम्ब भुगतान करने के संबंध में,
7. जिला हरिद्वार और उधमसिंह नगर को सूखा ग्रस्त घोषित करने के संबंध में,
8. किसानों और मजदूरों के घर पर लगे विद्युत कनेक्शनों पर वर्षों पुराना सरचार्ज समाप्त करने के संबंध में,
9. उद्योगों में स्थानीय युवा वर्ग को रोजगार देने के संबंध में,
10. गरीब व्यक्तियों के बी0पी0एल0 कार्ड बनाने के संबंध में, तथा
11. उत्तराखण्ड की राजधानी की घोषणा करने के संबंध में।

5. श्री बलबीर सिंह नेगी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए किसी विशेष प्रभावी उपाय की घोषणा किये जाने,
2. आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु किसी प्रभावी योजना की घोषणा किया जाने,

3. राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु पूर्व में घोषित योजनाओं के क्रियान्वयन करने तथा प्रभावी नीति बनाने,

4. राजस्व पुलिस की सेवा शर्तों में सुधार करने तथा उन्हे अधिक सुविधा व अधिकार देकर दूरस्थ ग्रामीण अंचल में कानून व्यवस्था ठीक करने,

5. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में माननीय विधायकों को इस वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 कि0मी0 नवीन मोटर मार्ग निर्माण, 20 कि0मी0 डामरीकरण, 5 झूलापुल, 5 नवीन इण्टरमीडिएट कालेज, 5 नवीन हाईस्कूल, 5 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिये जाने,

6. राज्य में चिकित्सा व्यवस्था सुधार हेतु पृथक चिकित्सा नीति बनाये जाने,

7. प्रदेश में प्रशिक्षित फार्मासिस्टों, बी0एड0, बी0पी0एड0, सी0पी0एड0, डिप्लोमा इंजीनियरों तथा अन्य प्रशिक्षितों तथा उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को सेवायोजन हेतु प्रभावी कदम उठाने,

8. प्रदेश के समस्त बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,

9. प्रदेश में चीड़ की पत्तियों पर आधारित उद्योग जगह जगह लगाये जाने,

10. जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार और घुत्तु में ऊन पर आधारित उद्योग (लूम) लगाये जाने,

11. साधन समिति सचिव, संग्रह अमीनों तथा वर्षो से विभिन्न यथा लो0नि0वि0, राज्य सम्पत्ति अधिकारी कार्यालय, वन विभाग तथा निगमों में कार्यरत दैनिक व संविदा आधारित कर्मचारियों को नियमित करने तथा उन्हे राज्य कर्मचारी घोषित करने,

12. प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यो, प्रवक्ता, अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने,

13. सभी न्याय पंचायत केन्द्रों मिनी खेल स्टेडियम तथा जिला मुख्यालयों में आधुनिक रूप से सुसज्जित खेल स्टेडियमों की स्थापना करने,

14. आपदा प्रबन्धन विभाग को सुव्यवस्थित कर दैवीय आपदाओं से निपटने हेतु विशेष कार्य योजना बनाये जाने,

15. राज्य की वार्षिक योजना रू0 6000 करोड़ कराये जाने,

16. उत्तर प्रदेश विकल्पधारी कर्मचारियों को कार्यमुक्त किये जाने,

17. जनपद टिहरी गढ़वाल के क्यारखी बुग्याल, कुशकल्याण में सैफ खेलों को आयोजित कराने के लिए योजना बनाने,

18. जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार और घुत्तू को चार धाम यात्रा के पर्यटक सर्किट से जोड़ने,

19. तिलवाड़ा, घनसाली बूढ़ाकेदार-अंयारकाखाल-धौन्तरी-उत्तरकाशी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने,

20. टिहरी बांध प्रभावितों को समुचित पुनर्वास किये जाने,

21. टिहरी बांध से उत्पन्न बिजली की आय में राज्य को प्राप्त हो रहे 12 प्रतिशत राजस्व में से 20 प्रतिशत टिहरी बांध प्रभावितों के लिए ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए व्यय करने,

22. ड्रिलिंग द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में 500 हैण्डपम्प लगाये जाने,

23. जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार, घुत्तू, धमातोली में वातानुकूलित आलू भण्डार गृह खोले जाने,

24. गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों का ऋण माफ करने,

25. होमगार्ड के दैनिक वेतन में रू0 50 की वृद्धि करने,

26. प्रदेश के सभी अशासकीय विद्यालयों को अनुदान सूची में लाये जाने,

27. 'फलोत्पादक बीमा योजना' लागू करने,

28. जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना की समस्त बूढेरा जाति को जनजाति घोषित किये जाने,

29. जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार में बुरांस के जूस निकालने का कारखाना लगाने,

30. जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली को जिला बनाये जाने,

31. राजकीय इण्टर कालेज विनकखाल, राजकीय इण्टर कालेज नौल बासर, राजकीय इण्टर कालेज भट्टगांव, राजकीय इण्टर कालेज किरेथ, राजकीय इण्टर कालेज केमरा, राजकीय इण्टर कालेज पौखाल, राजकीय इण्टर कालेज धोपड़धार, राजकीय इण्टर कालेज मुयालगांव, ठेला के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति दिलाये जाने,

32. जनपद टिहरी गढ़वाल के घुत्तू पंजा से पवांली कांठा व बूढाकेदार से ज्वालामुखी प्रस्तावित रज्जू मार्ग की वित्तीय स्वीकृति दिलाये जाने और लाटा से चूलागढ़ रज्जू मार्ग को बनाये जाने, तथा

33. जनपद टिहरी गढ़वाल अखोड़ी व विनयखा में महाविद्यालय खोले जाने।

6. हाजी तसलीम अहमद

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य में बेरोजगारी दूर करने,
2. जनपद हरिद्वार में लगे उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने,
3. जनपद हरिद्वार के ग्राम सुल्तानपुर में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने,
4. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में खेल हेतु स्टेडियम की स्थापना किये जाने,
5. जनपद हरिद्वार के ग्राम सुल्तानपुर में अग्निशमन दल स्थापित किये जाने,
6. जनपद हरिद्वार के ग्रम- मिठ्ठीबेरी को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु खासन नदी में रपटा पुल का निर्माण किये जाने,
7. अल्पसंख्यकों को रोजगार परक शिक्षा दिये जाने,
8. वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने,
9. अनुसूचित जाति, जनजाति की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान की धनराशि को दोगुना करने एवं पिछड़ी जाति के बी0पी0एल0 परिवारों को भी पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिए जाने,
10. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग में राज्य योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण कराये जाने, तथा
11. उत्तराखण्ड की राजधानी की घोषणा किये जाने।

7. श्री सुरेन्द्र राकेश

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. कर्मचारियों एवं शिक्षकों को छठा वेतनमान दिये जाने,
2. राज्य में स्थापित उद्योगों में स्थानीय युवकों को रोजगार दिये जाने,
3. राज्य में स्थापति उद्योगों में फैक्ट्री कानून एवं न्यूनतम वेतनमान बढ़ोत्तरी कर उसे लागू किये जाने,
4. राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को ठीक किये जाने ,
5. उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 का उल्लंघन न किये जाने,
6. भू-अध्यादेश को समाप्त किये जाने,

7. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में जंगली जानवरों एवं हाथियों से जानमाल की सुरक्षा हेतु प्रबन्ध किये जाने,
8. राज्य की स्थाई राजधानी के संबंध में तत्काल निर्णय लिये जाने,
9. विधान सभा भवन का आवश्यकता अनुसार विस्तार कर निर्माण किये जाने,
10. विधायकों के वेतनमान एवं भत्तों में बढोत्तरी किये जाने,
11. जनपद हरिद्वार के खेड़ी शिकोपुर में सोलानी नदी पर पुल का निर्माण किये जाने,
12. जनपद हरिद्वार के मजाहदपुर सर्तावाला- लामग्रन्ट में रतमऊ नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
13. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में मानकों के अनुरूप राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना करने,
14. जनपद हरिद्वार के चुड़ियाला एवं भगवानपुर में स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
15. राज्य में प्राईमरी पब्लिक स्कूलों पर अंकुश लगाने की नीति का निर्धारण किये जाने,
16. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों में सड़कों एवं नाली, बिजली की व्यवस्था किये जाने,
17. ग्राम पंचायतों को समुचित धन उपलब्ध कराये जाने,
18. स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत जिला स्तर पर निर्धारित बजट आवंटन विधायकों की संस्तुति पर किये जाने,
19. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में सरकार द्वारा कृषि योग्य भूमि के कटाव को रोकने की समुचित व्यवस्था किये जाने,
20. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में मेडिकल कालेज की स्थापना करने,
21. बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से किये जाने,
22. घरेलू बिजली के बिलों पर सरचार्ज माफ करने एवं किसानों के बिल माफ किये जाने,
23. कुटीर ज्योति कनेक्शन के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों के बिल माफ किये जाने,
24. बी0पी0एल0 सूची के आधार पर खाद्यान एवं तेल चीनी का वितरण किये जाने,
25. स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का समुचित बजट 18 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित किये जाने,

26. स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस0सी0पी0) के धन का दुरूपयोग रोकने हेतु अलग से विभाग बनाकर निदेशालय स्थापित किये जाने,

27. सन् 1973 एवं 1976 के आसामी पट्टा धारकों को भूमिधरी का हक दिये जाने,

28. हरिद्वार जनपद को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने,

29. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में मानकों के आधार पर सरकारी अस्पतालों का निर्माण किये जाने,

30. जनपद हरिद्वार के बुग्गावाल में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत स्टेडियम का निर्माण किये जाने,

31. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में सड़कों का निर्माण किये जाने,

32. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में सिंचाई के साधन सरकारी ट्यूबवैल, नाबार्ड की सहायकता लेकर लगाये जाने,

33. गन्ना किसानों का गत वर्षों का भुगतान घोषित मूल्य के आधार पर किये जाने, तथा

34. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में आई0आई0एम0 का तत्काल निर्माण किये जाने।

8. श्री प्रेमानन्द महाजन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में

निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में रह रहे बंगाली नमः शूद्र, पौण्ड, माझी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिये जाने,

2. नये मार्गों के निर्माण,

3. पुरानी सड़कों की मरम्मत,

4. खेती के लिये स्वीकृत ट्यूबवेलों के निर्माण,

5. बेशकीमती कृषि भूमि के भू-कटाव पर नियंत्रण,

6. बेरोजगारों को रोजगार देने,

7. जनपद उधमसिंह नगर के हल्दी, पन्तनगर में सुपरफास्ट ट्रेन रोकने,

8. जनपद उधमसिंह नगर के पन्तनगर-गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में खराब नलों को ठीक करने

9. जनपद उधमसिंह नगर के पन्तनगर-गदरपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों की विद्युत लाइनों के पुराने तारों को बदलने, तथा

10. गन्ना किसानों को भुगतान देने।